



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय भवन, पंचम वन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@gov.in, goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/74/2021/एफ0सी0/1352

दिनांक : 23.03.2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**Online Proposal No. FP/UP/Approach/48833/2020**

विषय: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कानपुर द्वारा जनपद-फतेहपुर के अंतर्गत फतेहपुर-जोनिहा मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्तोन सं०-14.200 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं०-1502, ग्राम-असवार तारापुर, परगना-फतेहपुर, तहसील-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-पी-03/81-2-2021-800(18)/2021, लखनऊ, दिनांक - 02.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

- 1- If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by State authority without prior approval of Central Government then action under section 3A and 3B of Forest Conservation Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing diversion. A report with full details of violation shall be submitted by State Government on the recommendation of Forest Department to this office for conducting a formal enquiry in the matter.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर।
4. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5. चीफ रिजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन, कानपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}